बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

सं०सं०–ल०सिं०मो०–निविदा बैठक–193/2020– 1389 (मो०) */पटना, दिनांक–* 02/07/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

विषयः–**पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–01/2019–20 ग्रुप सं0–78, 97, 98 एवं 117 के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः–**आपका पत्रांक–730, दिनांक–27.06.2020**

महाशय,

आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचना दी गयी है कि बैजनाथ निर्माण इंडिया प्रा0लि0, पूर्वी गांधी मैदान, जहानाबाद को काली सूची से मुक्त कर दिया गया है तथा पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–01/2019–20 के ग्रुप संख्या–78, 97, 98 एवं 117 की लॉटरी में भाग लेने हेतु उनके द्वारा अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में कृपया निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध करायी जाय–

(1) संवेदक को काली सूची में डालने से सम्बन्धित पत्र।

(2) आपके स्तर से विषयांकित निविदा के ग्रुप में की गयी लॉटरी की तिथि तथा ग्रुप संख्या।

विश्वासभाजन,

2/7/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-20\JULY-20\RETENDER-BLACK LISTED FEE-02-07-2020.DOCX

02/7/20

76

मुख्य अभियंता का कार्यालय,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ई-मेल—cepat-mi-bih@nic.in
दूरभाष नं०:-0612-2208088, मो० नं०:-9430099179, 7004......

सं०सं०यु०अ०ल०ज०सं०/-338/2019

पत्रांक- 730 /पटना, दिनांक- 27-06-2020

प्रेषक,

ई० बिन्देश्वर राम,
मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

विषय:— पुर्न निविदा आमंत्रण सूचना सं०—01/2019—20 ग्रुप सं०—78, 97, 98 एवं 117 के संबंध में।

प्रसंग:— आपका पत्रांक—1224 दिनांक—18.06.2020 एवं बैजनाथ निर्माण इंडिया प्रा०लि० का आवेदन दिनांक—23.06.2020 एवं जल संसाधन विभाग, बिहार का पत्रांक—1655 दिनांक—23.06.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स बैजनाथ निर्माण इंडिया प्रा०लि०, पूर्वी गांधी मैदान, जहानाबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक—1400 दिनांक 08.06.2020 के द्वारा काली सूची में डाला गया था। परन्तु निराधार आरोप के कारण सचिव—सह—अपीलीय प्राधिकार जल संसाधन, बिहार, पटना के पत्रांक—1655 दिनांक—23.06.2020 द्वारा काली सूची से मुक्त कर दिया गया है तथा विषयांकित निविदाओं के ड्रॉ ऑफ लॉटस में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। विदित हो कि पुर्न निविदा आमंत्रण सूचना सं०—01/2019—20 ग्रुप सं०—117 का ड्रॉ ऑफ लॉटस विभागीय पर्यवेक्षक द्वारा कराया जा चुका है। शेष योजनाओं का ड्रॉ ऑफ लॉटस शेष है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 27/6/2020
मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

(हस्तलिखित टिप्पणी: शिवशंकर 01/7, 3075 (मो०) 01-07-2020)

(111) 175

9934098650, 9308356251, 9939911835
Email ID : baijnathnirman@gmail.com

Baijnath Nirman India Private Limited

Government Contractor

Head Office : East Gandhi Maidan, Jehanabad-804408 (Bihar)

GST No:- 10AACCB7894A1Z2
Pan No. :- AACCB7894A

Reg. No. :-
(i) Water Resource I^st-58/2011
(ii) R.W.D.- I^st 1140020

Ref. No. 0

Dated 23-06-2020

सेवा में
मुख्य अभियंता
लघु जल संसाधन विभाग
पटना ।

विषय- भवदीय का पुनः निविदा आमंत्रण सूचना संख्या -01-2019/ 20 के अंतर्गत ग्रुप संख्या 78,97,98,एवं 117 के निविदा के संबंध में।

प्रसंग- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक 1655 दिनांक – 23-06-2020 के द्वारा मेरे कंपनी को काली सुचि से विमुक्त हो जाने के सम्बन्ध में ।

14/6
24/6/20

महाशय

निवेदन यह है कि अभियंता प्रमुख (मु॰) ,जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक-1400 दिनांक – 08-06-2020,के द्वारा मुझे काली सूची में शामिल किया गया था |परन्तु निराधार आरोप के कारण सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार जल संसाधन विभाग ,बिहार ,पटना को मेरे द्वारा दिया गया अभ्यावेदन के आलोक में प्रासंगिक पत्र के द्वारा मुझे काली सूची से विमुक्त कर दिया गया है ।

अतः उपरोक्त के आलोक में विषयांकित कार्य के लिए मेरी निविदा की मान्यता देते हुए निविदा विस्तार कि अग्रेतर कार्यवाई सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ।

अनुलग्नक — यथावत्

Sahyan

24/6

विश्वासभाजन
Baijnath Nirman India Pvt. Ltd.
Managing Director

Scanned with CamScanner

(17) 75

पत्र संख्या –11/विविध–02–02/2019 ..../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

आदेश

सोन नहर सिंचाई प्रमण्डल, आरा के अधीन एकरारनामा संख्या–01 SBD/2017–2018 के तहत दनवार झील जल निकासी योजना एवं सिंचाई योजना के कार्य में अनियमितता के लिए संवेदक कम्पनी मेसर्स बैजनाथ निर्माण (इं0) प्रा0 लि0, जहानाबाद को विभागीय आदेश ज्ञापांक 1400 दिनांक 08.06.2020 द्वारा काली–सूची में डाला गया है ।

आरोप के मुख्य बिन्दु–निर्माण स्थल पर [illegible] विशिष्ट के सामग्री का भंडारण किया जाने के संदर्भ में संवेदक द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में कहा गया है कि तकनीकी परीक्षक कोषांग के जाँच प्रतिवेदन में व्यवहृत कार्यों को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप पाया गया है । ऐसी स्थिति में भंडारित सामग्री से व्यवहृत सामग्री के उपयोग का आकलन नैसर्गिक न्याय से परे है । संवेदक का यह तथ्य सही प्रतीत होता है । कार्य के दौरान भी कराये गये कार्य की नियमित जाँच के जाँच प्रतिवेदन में कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप होने के तथ्य को संपुष्ट करता है ।

आरोप के अन्य बिन्दु जैसे निर्माणाधीन नया साईफन के भाग में कुछ जगहों पर Honey Comb इत्यादि पाये जाने के संदर्भ में भी संवेदक का कथन है कि तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा जाँच किये जाने के समय कार्य पूर्ण नहीं हुआ था एवं Finishing इत्या[illegible] के कार्य में पायी गई इस त्रुटि का सुधार कर लिया गया है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अभियंता प्रमुख, मुख्यालय के आदेश ज्ञापांक 1400 दिनांक 08.06.2020 को अवक्रमित करते हुए संवेदक मेसर्स बैजनाथ निर्माण (ई0) प्रा0 लि0, पूर्वी गाँधी मैदान, जहानाबाद को काली–सूची से मुक्त किया जाता है ।

(रांजीव हंस)

सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार।

ज्ञापांक : 11/विविध–02–02/2019 ...1655... पटना/दिनांक : 23.6.2020

प्रतिलिपि :– श्री निरंजन केशव, निदेशक – बैजनाथ निर्माण (ई0) प्रा0 लि0, पूर्वी गाँधी मैदान, जहानाबाद, पिन कोड–804408 को सूचनार्थ प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

Scanned with CamScanner